उत्तर प्रदेश सरकार

पशुधन अनुभाग'-1

संख्या-1/3927/37-1-2013-5(17)/2013

लखनऊ::दिनांक 07 नवम्बर, 2013

दिनांक 07 नवम्बर, 2013 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश, पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी , उत्तर प्रदेश ।

(2) निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(3) समस्त अपर निदेशक (ग्रेड-2), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ।

(4) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश ।

(5) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।

(6) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद ।

(7) मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी ।

(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।

(9) अपर महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ बेंच लखनऊ ।

(10) गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।

(11) गार्ड बुक ।

संलग्नक :यथोक्त।

सुनील कुमार

अनु सचिव।

basanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश सरकार

पशुधन अनुभाग- 1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संख्या-2461/37-1-2013-5-(17)/2013

लखनऊ::दिनांक 07 नवम्बर, 2013

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली , 2002 में संशोधन करने की द्रष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवत्त होगी ।

नियम 3 का प्रतिस्थापन

2. उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली, 2002 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :-

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिभाषाएं 3	जबतक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :- (क) 'अधिनियम ' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और	परिभाषाएं 3	जबतक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और

	अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 से हैं ; (ख) 'अपर निदेशक' का तात्पर्य अपर निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश से है; (ग) नियुक्ति प्राधिकारी ' का तात्पर्य प्रक्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट), सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट) , लेक्चरार, कुक्कुट और ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक के पदों के संबंध में निदेशक और पशुधन प्रसार अधिकारी के पद के संबंध में निदेशक और पशुधन प्रसार अधिकारी के पद के संबंध में तात्पर्य उपनिदेशक से है ; (घ) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो, यह समझा जाए; (ड.) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है; (च) ' उपनिदेशक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न मण्डलों में पशुपालन		अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम , 1994 से है ; (ख) " अपर निदेशक श्रेणी-2" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न मण्डलों में तैनात पशुपालन विभाग के अपर निदेशक श्रेणी-2 या समकक्ष से है; (ग) ' नियुक्ति प्राधिकारी ' का तात्पर्य प्रक्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट) सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट) लेक्चरार, कुक्कुट और ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक के पदों के संबंध में निदेशक और पशुधन प्रसार अधिकारी के पद के संबंध में अपर निदेशक श्रेणी-2 से है ; (घ) "भारत का नागरिक ' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए; (ङ) 'संविधान' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' से है; (च) 'निदेशक' का तात्पर्य निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश से है; (छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; (ज) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

shasanadesh.up.nic.in

	विभाग में तैनात उपनिदेशक से है; (छ) 'निदेशक' का तात्पर्य पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के निदेशक से है; (ज) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ; (झ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; (ञ) 'संयुक्त निदेशक' का तात्पर्य पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक(प्रशासन) से है; (ट)'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों से है; (ठ) 'नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो से है; (ड) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग,		(झ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है; (ञ) 'नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो ' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों से है; (ट) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा से है; (ठ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चातद्य की गयी हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; (ड) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है ।

shgamadesh.up.nic.in

	पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा से है; (ढ)'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम थे तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा यथासमय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; (ण) 'भर्ती का वर्ष ' किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है;		

नियम 5 का संशोधन	1. उक्त नियमावली में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात:-

	स्तम्भ 1 विद्यमान उपबन्ध		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
	(1) पशुधन प्रसार अधिकारी- (क) 90प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) दस प्रतिशत मौलिक रूप		(1) पशुधन प्रसार अधिकारी (क) 90प्रतिशत चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख)दस प्रतिशत मौलिक रूप से

shasanadesh.up.nic.in

	से नियुक्त वेटनरी फार्मासिस्ट में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और मौलिक रूप से नियुक्त ड्रेसरों एवं प्रयोगशाला सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभ्ज्ञाग , उत्तर प्रदेश में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा विज्ञान या क़षि के साथ एक विषय के रूप में या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । परन्तु, यदि सीधी भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त वेटनरी फर्मासिस्ट, ड्रेसर और प्रयोगशाला सहायक उपलब्ध न हों तो पदों को उपखण्ड (क) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा ।		नियुक्त ड्रेसर्स में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम निवस को इस रूप में पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और एक विषय के रूप में विज्ञान या क़षि के साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा : परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त ड्रेसर्स उपलब्ध न हों तो पदों को उप-खण्ड (क) के अधीन सीधी भ्ज्ञर्ती द्वारा भरा जाएगा ।

नियम 10 का प्रतिस्थापन	4.उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

shasanadesh.up.nic.in

	स्तम्भ 1 विद्यमान नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10 आयु	सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो; परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय'समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।	10 आयु	सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो; परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

नियम 22 का संशोधन	5.उक्त नियमावली में, नियम 22 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

	स्तम्भ 1 विद्यमान उप-नियम		स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
वेतनमान	(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का		(1)उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा

shasanadesh.up.nic.in

	अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये । (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं ।		(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं ।

परिशिष्ट का प्रतिस्थापन	6.उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात

स्तम्भ 1

विद्यमान परिशिष्ट

परिशिष्ट

(नियम-4(2) और 22(2) देखिये)

क्रम सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	कुल
1	पशुधन प्रसार अधिकारी	रू0-4000-100-6000	2300	826	3126
2	ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	रू0-5000-150-8000	12	-	12
3	प्रक्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट)	रू0-6500-200-10500	4	-	4
4	सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी	रू0-6500-200-10500	1	-	1
5	सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट)	रू0-6500-200-10500	2	-	2
6	लेक्चरार(कुक्कुट)	रू0-6500-200-10500	1	-	1

upgenadesh.up.nic.in

स्तम्भ 2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

परिशिष्ट

(नियम-4(2) और 22(2) देखिये)

क्रम सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	कुल
1	पशुधन प्रसार अधिकारी	वेतन बैण्ड-1 रू0-5200-20200 ग्रेड पे रू0-2800	2831	826	3117
2	ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	वेतन बैण्ड-2 रू0-9300-34800 ग्रेड पे रू0-4200	12	-	12
3	प्रक्षेत्र प्रबन्धक (कुक्कुट)	वेतन बैण्ड-2 रू0-9300-34800 ग्रेड पे रू0-4600	04	-	04
4	सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी	वेतन बैण्ड-2 रू0-9300-34800 ग्रेड पे रू0-4600	01	-	01
5	सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट)	वेतन बैण्ड-2 रू0-9300-34800 ग्रेड पे रू0-4600	02	-	02
6	लेक्चरार(कुक्कुट)	वेतन बैण्ड-2 रू0-9300-34800 ग्रेड पे रू0-4600	01	-	01

आज्ञा से,

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव ।

shasanadesh.up.nic.in